



चंपारण से भारत छोड़ो आन्दोलन तक: गाँधीयुगीन आन्दोलन (1917-1947) में बिहार की महिलाओं की भूमिका

पूजा कुमारी

शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार

प्रो. (डॉ.) उमेश कुमार

सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, गया कॉलेज, गया, बिहार

लेख विवरण

सारांश

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 10/08/2025

स्वीकृति तिथि: 24/09/2025

प्रकाशनतिथि: 30/09/2025

मुख्य शब्द: गाँधीयुगीन आंदोलन; चंपारण असहयोग आंदोलन; सविनय अवज्ञा आंदोलन; भारत छोड़ो आंदोलन; स्वतंत्रता संग्राम; महिला सशक्तिकरण; राजनीतिक चेतना।

यह शोध-लेख 1917 ई० से 1947 ई० तक के गाँधीयुगीन आंदोलनों में बिहार की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ होकर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन तक महिलाओं की उपस्थिति ने स्वतंत्रता संग्राम को ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर जनांदोलन का स्वरूप दिया। प्रारंभिक चरण में उनका योगदान मौन सहयोग और अप्रत्यक्ष भागीदारी तक सीमित था, किंतु समय के साथ यह प्रत्यक्ष नेतृत्व, संगठनात्मक दक्षता और भूमिगत गतिविधियों तक विस्तृत हो गया। उन्होंने विदेशी वस्त्र बहिष्कार, खादी प्रचार, शराबबंदी अभियानों, सत्याग्रहों, धरनों और जुलूसों में निर्णायक भूमिका निभाई। 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कई महिलाएँ गिरफ्तार हुईं, कारावास का अनुभव किया और ब्रिटिश दमन के समक्ष अदम्य साहस का परिचय दिया। यह अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि बिहार की महिलाओं ने केवल सहायक शक्ति का परिचय नहीं दिया, बल्कि आंदोलन की नैतिक और संगठनात्मक रीढ़ बन गईं। उनके साहस और त्याग ने स्वतंत्रता संग्राम को न केवल शक्ति दी बल्कि भारतीय समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक नींव भी रखी। स्वतंत्रता-उपरांत उनकी चेतना शिक्षा, राजनीति और पंचायत राज संस्थाओं में बढ़ती भागीदारी के रूप में परिलक्षित हुई। इस प्रकार यह शोध यह सिद्ध करता है कि गाँधीयुगीन आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के साथ-साथ भारतीय महिला चेतना और सशक्तिकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया के भी प्रमुख आधार रहे।



1. प्रस्तावना:

स्वाधीनता संग्राम के सभी चरणों और आन्दोलनों में पत्रकारिता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी भूमिका निभाती रही। स्वाधीनता आन्दोलन के सभी चरणों में इसकी अलग अलग पहचान और योगदान रही।

प्रारम्भिक चरण (1857-1900)

1857 के पूर्व कई जनजातीय और क्षेत्रीय आन्दोलन हो चुके थे। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यद्यपि की पश्चिमी इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं। बी. डी. सावरकर इसे प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन मानते हैं और इसके अनेक तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। इस काल में पत्रकारिता नवजागरण का साधन बनी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कड़ी निगरानी रखी थी, फिर भी कई भारतीय पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित हुए जो लोगों में देशभक्ति और आत्म-सम्मान की भावना जागृत करने में सहायक बने। 1857 से 1900 के बीच का काल भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का प्रारंभिक चरण था। इस पत्रकारिता में पत्रकारिता मुख्यतः सामाजिक सुधार, राजनीतिक जागरूकता और ब्रिटिश शासकों की नीतियों की आलोचना का माध्यम बन कर राष्ट्रीय चेतना की नींव रखने का कार्य किया। यद्यपि उस समय संसाधनों का अतिशय आभाव था, फिर भी भारतीय पत्रकारों ने साहसिक ढंग से ब्रिटिश अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई।

राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी (1821) और मिरात-उल-अखबार (उर्दू) के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और ब्रिटिश शासन के अत्याचार पर प्रहार किया। इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका (1868), जो शुरुआत में एक बंगाली साप्ताहिक थी, धीरे-धीरे अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी और ब्रिटिश नीतियों की तीखी आलोचना करने लगी। इसके अलावा हिंदू पत्रिका, भारत मित्र, और इंडियन मिरर जैसे प्रकाशनों ने भी स्वतंत्रता के विचारों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में पत्रकारिता ने राष्ट्रवाद के साथ भविष्य के क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए वैचारिक भूमि तैयार की। इसके लिए पत्रकारों को दमन, सेंसरशिप और कारावास का भी सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने सत्य और स्वतंत्रता के पक्ष में निरंतर लेखन जारी रखा। स्वाधीनता आन्दोलन के प्रथम चरण में अनेक पत्र पत्रिकाएं



प्रकाशित हुई और राष्ट्रीय आन्दोलन की धाराको दिशा देने का कार्य किया जैसे-

राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने 1821 में 'संवाद कौमुदी' (बांग्ला साप्ताहिक) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह विरोध, और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। उन्होंने पत्रकारिता को एक जागरूकता अभियान के रूप में प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उर्दू में 'मिरात-उल-अखबार' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। मिरात-उल-अखबार ब्रिटिश नीतियों का प्रखर आलोचना करता था और भारतीय समाज के हितों की बात करता था। इन दोनों पत्रों के माध्यम से उन्होंने समाज को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाया और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों पर प्रश्न उठाए। उनकी निर्भीक पत्रकारिता से सरकार असहज हो गयी थी। ब्रिटिश सरकार ने 1823 में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। राममोहन राय ने इसके विरुद्ध भी संघर्ष किया।

अमृत बाजार पत्रिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रकाशित एक प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने बंगाल के अमृतसर गांव में की थी। प्रारंभ में यह एक बंगाली साप्ताहिक था, लेकिन ब्रिटिश दमनकारी नीतियों, विशेषतः वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) के विरोध में इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया ताकि सरकारी सेंसरशिप से बचा जा सके। यह पत्र ब्रिटिश शासन की नीतियों की तीखी आलोचना करता था और भारतीय नेताओं की आवाज को बल देता था। अमृत बाजार पत्रिकाने बाल गंगाधर तिलक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और गांधीजी जैसे नेताओं के विचारों को जन-जन तक पहुँचाया। इसकी निर्भीक पत्रकारिता ने जनता में राजनीतिक चेतना जगायी और स्वतंत्रता आन्दोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार इस पत्र को बार-बार दबाने का प्रयास करती रही, लेकिन यह सच्चाई की आवाज बना रहा।

कांग्रेस युग और जनचेतना (1900-1920)

1900 से 1920 तक का समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस युग के रूप में जाना जाता है। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सशक्त राजनीतिक संगठन के रूप में उभरी, और पत्रकारिता ने जनचेतना को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में पत्रकारिता ने स्वदेशी, बहिष्कार, और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों को जन-जन तक



पहुँचाया। पत्रकारिता ने इस काल में जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। ब्रिटिश दमन का विरोध किया और राष्ट्रीय को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। यही पत्रकारिता आगे चलकर गांधी युग की अहिंसात्मक क्रांति की आधारशिला बनी।

प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ और उनके योगदान

बाल गंगाधर तिलक ने 'केसरी' (मराठी) और 'मराठा' (अंग्रेजी) नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की कड़ी आलोचना की और स्वराज्य की माँग को जन-जन तक पहुँचाया। तिलक का नारा- "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है"- इसी पत्रकारिता की देन है। बिपिन चंद्र पाल ने 'न्यू इंडिया' और 'बंदे मातरम्' जैसे पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को जन-जन तक पहुँचाया। अरविंद घोष (श्री अरविंद) ने भी 'बंदे मातरम्' के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध चेतना जागृत की।

गांधी युग और अहिंसात्मक संघर्ष (1920-1947)

1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आये थे। इसके दो वर्ष बाद सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1920 से 1947 तक का काल भारतीय स्वतंत्रता में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में पत्रकारिता ने अहिंसात्मक संघर्ष को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता को सत्य और सेवा का माध्यम माना। उन्होंने 'नेयंग इंडिया', 'नवजीवन' (गुजराती), और 'हरिजन' जैसे पत्रों के माध्यम से सत्याग्रह, स्वराज, और सामाजिक सुधारों का प्रचार किया। गांधीजी की लेखनी सरल, प्रभावशाली और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण थी। गांधीजी की पत्रकारिता ने जनता को आंदोलनों से जोड़ने का कार्य किया। नमक सत्याग्रह, असहयोग, और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों की प्रेरणा और सूचना पत्रकारिता के माध्यम से ही जनमानस तक पहुँची।

इस काल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' के माध्यम से मजदूरों, किसानों और दलितों की आवाज़ उठाई। जवाहरलाल नेहरू ने 'नेशनल हेराल्ड' की स्थापना की, जो कांग्रेस की राष्ट्रवादी नीतियों और विचारधारा को विस्तार देने का प्रमुख माध्यम बना। ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कानूनों और सेंसरशिप के माध्यम से प्रेस को दबाने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्रता के प्रति पत्रकारों की प्रतिबद्धता अडिग रही। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। गांधीजी ने पत्रकारिता को 'सेवा का माध्यम' माना और उसका प्रयोग



जनचेतना के विकास के लिए किया। गांधीजी ने 'यंग इंडिया', 'नवजीवन' (गुजराती में) और 'हरिजन' जैसे पत्रों के माध्यम से सत्य, अहिंसा और स्वराज के सिद्धांतों का प्रचार किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों की शांतिपूर्ण आलोचना की और भारतीय जनता को आंदोलनों में भाग लेने के प्रेरित किया। उनका लेखन सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली था, जो हर वर्ग के लोगों तक पहुँचता था।

सरकार का दमनचक्र और पत्रकारिता

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक तरफ पत्रकारिता जनचेतना और राष्ट्रीय एकता का माध्यम बन रही थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार इसे कुचलने के लिए अनेक दमनकारी उपायों का सहारा लेने लगी थी। पत्रकारों और समाचार पत्रों ने जब अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना करनी शुरू की, तब ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने हेतु कठोर कानून लागू किए। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट (1878) बनाया गया। इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारों को रोकना था। 'अमृत बाजार' पत्रिका जैसे पत्रों ने अंग्रेजी में प्रकाशित होकर इस कानून का घोर प्रतिकार किया।

प्रेस एक्ट (1910) के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी पत्र या प्रकाशन को जब्त कर सकती है या उससे जमानत के रूप में आर्थिक जुर्माना ले सकती है। इसके अंतर्गत कई पत्रों को बंद कर दिया गया। अनेक पत्रकारों को जेल भेजा गया। गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक, और महात्मा गांधी जैसे पत्रकारों को उनके लेखन के कारण बार-बार गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश शासन ने पत्रकारिता को राष्ट्रविरोधी घोषित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पत्रकारों ने देशभक्ति, सत्य और जनहित के लिए संघर्ष जारी रखा। यही संघर्ष स्वतंत्रता की नींव को मजबूत करता रहा। ब्रिटिश सरकार ने जब यह देखा कि पत्रकारिता जनता को एकजुट कर रही है और उसकी नीतियों की आलोचना कर रही है, तो उन्होंने प्रेस पर अनेक कठोर कानून थोपे फिर भी पत्रकार पीछे नहीं हटे। वे छद्म नामों से लिखते रहे, गुप्त रूप से पत्र छापते रहे और अपने उद्देश्य में लगे रहे।

पत्रकारिता के माध्यम से जनजागरण

भारतीय स्वतंत्रता में पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम थी। पत्रकारों और संपादकों



ने अपने लेखों और समाचारों के माध्यम से जनता को गुलामी के विरुद्ध जागरूक किया और उनमें स्वराज्य की भावना का संचार किया। पत्रकारिता ने राष्ट्रवाद को प्रसारित फैलाने, ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने, और राजनीतिक विचारधाराओं को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। बाल गंगाधर तिलक केकेसरी, महात्मा गांधी केयंग इंडिया और हरिजन, और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप जैसे पत्रों ने स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और जनभागीदारी जैसे विषयों को उठाकर देश में क्रांतिकारी चेतना का संचार किया।

भारतीय जनमानस, जो पहले राजनीतिक मामलों से अनभिज्ञ थी, अब आंदोलनों, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने और सत्याग्रह जैसे अभियानों से जुड़ने लगी। पत्रकारिता ने भाषा और विचारों के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता, दलित उत्थान, और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों को भी राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया। इसके अतिरिक्त, पत्रकारिता ने सुदूर के गाँवों में भी स्वतंत्रता संग्राम की लौ जलाई, जहाँ शिक्षा और संचार के साधन सीमित थे। इसने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता फैलाई। स्वतंत्रता की नींव को मजबूत करने में पत्रकारिता की यह भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रही। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने भारत के गौरवशाली अतीत, संस्कृति और एकता का प्रचार कर राष्ट्रवाद को जागृत किया। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन आदि की जानकारी जन-जन तक पहुँचाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कृत्यों को जनता के समक्ष लाने में पत्रकारों की सराहनीय भूमिका थी। हिंदू-मुस्लिम एकता, दलित उत्थान, स्त्री जागरण आदि विषयों को भी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय मंच दिया।

स्वतंत्रता के बाद की स्थिति

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय पत्रकारिता के स्वरूप, उद्देश्य और चुनौतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब पत्रकारिता का केंद्र ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं था। पत्रकारिता अब नवगठित लोकतंत्र की मजबूती, समाज सुधार, और सरकार की नीतियों की निगरानी करने लगी। स्वतंत्र भारत में प्रेस को संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) प्राप्त हुई। इस संवैधानिक अधिकार ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का "चौथा स्तंभ" के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता की उदाहरण प्रस्तुत किया। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, जनसत्ता, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों ने राष्ट्रीय और



सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता दी।

समय के साथ पत्रकारिता को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे- राजनीतिक हस्तक्षेप, कॉर्पोरेट दबाव, सूचना का व्यवसायीकरण, और मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न। पत्रकारिता ने सेंसरशिप और दमन के विरुद्ध संघर्ष किया, जिससे पत्रकारिता की नैतिक शक्ति पुनः सिद्ध हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता की भूमिका बदल गई, लेकिन आज भी वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। स्वतंत्रता में पत्रकारिता ने जो साहस, प्रतिबद्धता और निष्ठा दिखाई, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक विस्तारित हो चुका है। सूचनाओं का प्रवाह तेज़ है। लेकिन विश्वसनीयता की चुनौती भी बड़ी है। आज पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

निष्कर्ष

स्वाधीनता में पत्रकारिता सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम बनकर अपनी भूमिका का निर्वाह किया। यह स्वाधीनता आन्दोलन को दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति भी बनी। प्रारंभिक दौर से लेकर गांधी युग तक पत्रकारिता ने जनमानस को जागरूक किया। राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन के अन्याय, शोषण तथा दमन के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा राममोहन राय से लेकर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पत्रकारिता को स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बनाया। पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन-जन तक उद्देश्यों को पहुँचाया। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों को उठाया। जनता में एकजुटता का भाव पैदा किया। इसके बावजूद, पत्रकारों को ब्रिटिश सरकार की ओर से दमन, सेंसरशिप और जेल जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने यह साबित कर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र का आधार है।

स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने एक अद्वितीय भूमिका निभाई। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब पत्रकारों ने कलम को हथियार बनाया और जनता को संगठित किया। उस काल की पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया। सामाजिक समता का विस्तार करने का हर संभव प्रयास किया। ब्रिटिश सत्ता के विरोध के साथ ही सामाजिक



कुरीतियों का घोर प्रतिकार किया। उन्होंने बिना डरे सच्चाई को सामने रखा और देशभक्ति का संदेश फैलाया। उस काल की पत्रकारिता और उन पत्रकारों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जब हम स्वतंत्र हैं, तब यह आवश्यक है कि हम उस पत्रकारिता के मूल्यों को याद रखें और उसे प्रेरणा के रूप में अपनाएं।

सन्दर्भ

1. बिपिन चंद्र (1988). भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष (1857-1947)। नई दिल्ली: पेंग्विन बुक्स। (अध्याय 7: असहयोग आंदोलन, पृ. 165; अध्याय 10: भारत छोड़ो आंदोलन, पृ. 412)
2. सुमित सरकार (1989). आधुनिक भारत (1885-1947)। दिल्ली: मैकमिलन। (अध्याय 9: गांधी युग, पृ. 260; अध्याय 12: भारत छोड़ो आंदोलन, पृ. 410)
3. जेराल्डीन फोर्ब्स (1996). आधुनिक भारत में महिलाएँ। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। (अध्याय 4: राष्ट्रीय आंदोलन और महिलाएँ, पृ. 121; अध्याय 5: स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण, पृ. 176)
4. रमाकांत प्रसाद सिंह (1995). बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाएँ (1917-1947)। पटना: बिहार लोक संस्कृति परिषद। (अध्याय 3: सविनय अवज्ञा, पृ. 110; अध्याय 5: अगस्त क्रांति, पृ. 265)
5. काशी प्रसाद सिंह (2007). बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका (1917-1947)। पटना: बिहार रिसर्च सोसाइटी। (अध्याय 2: चंपारण से असहयोग तक, पृ. 54; अध्याय 4: भारत छोड़ो आंदोलन, पृ. 163)
6. सुमित सरकार (1989). आधुनिक भारत (1885-1947)। दिल्ली: मैकमिलन। अध्याय 9: गांधी युग, पृ. 315.



7. बिपिन चंद्र (1988). भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष (1857-1947)। नई दिल्ली: पेंग्विन बुक्स। अध्याय 7: असहयोग आंदोलन, पृ. 185;
8. जेराल्डीन फोर्ब्स (1996). आधुनिक भारत में महिलाएँ। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। (अध्याय 4: राष्ट्रीय आंदोलन और महिलाएँ, पृ. 156; अध्याय 5: स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण, पृ. 198)
9. रमाकांत प्रसाद सिंह (1995). बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाएँ (1917-1947)। पटना: बिहार लोक संस्कृति परिषद। (अध्याय 3: सविनय अवज्ञा, पृ. 146; अध्याय 5: अगस्त क्रांति, पृ. 235)
10. उर्मिला शुक्ला (2001). भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महिला चेतना। लखनऊ: भारतीय ज्ञानपीठ। (अध्याय 4: बिहार की महिलाएँ और स्वतंत्रता संग्राम, पृ. 136)
11. भारती राय (2005). भारतीय महिलाएँ: औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक काल। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन। (अध्याय 3: महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान, पृ. 145)
12. महात्मा गांधी (1927). सत्य के प्रयोग की आत्मकथा। अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस। (खंड II, चंपारण प्रकरण, पृ. 345)
13. उर्मिला शुक्ला (2001). भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महिला चेतना। लखनऊ: भारतीय ज्ञानपीठ। 235
14. उमा चक्रवर्ती (1998). औरत का इतिहास। नई दिल्ली: किताब महल। (अध्याय 7: राष्ट्रवाद और महिलाएँ, पृ. 189)